JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भूमंडलीकरण के बाद बिहार में कृषि व्यवस्था का ऐतिहासिक–आर्थिक विश्लेषण।

1. मो0 तौकीर हाशमी
सहायक प्राचार्य (इतिहास), एच0 पी0 एस0 कॉलेज, निर्मली, सुपौल (बिहार)
2. डॉ0 इम्तियाज़ अंजुम
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, पी. जी. सेन्टर सहरसा (बिहार)

शोध–सारांश

बिहार परंपरागत रुप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य रहा है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 20 से 24 फीसदी योगदान करता है। गंगा और सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान, प्रचूर जल संसाधन और उर्वर भूमि इस राज्य को विविध फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। भूमंडलीकरण के बाद 1990 के दशक से भारत की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक संरचनात्मक बदलाव आया, जिसका सीधा प्रभाव राज्यों के कृषि व्यवस्था पर भी पड़ा। एक ओर जहां उत्पादक्ता, बीज–प्रणाली, सिंचाई और बाजार तक पहुंच में सुधार आया वहीं दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए लागत का बोझ, खेती का व्यवसायिक जोखिम, असमानता और परंपरागत खेती के संरक्षण की चुनौती भी सामने आई। इस लेख का उद्देश्य भूमंडलीकरण के बाद बिहार की कृषि में हुए विकास, फसल संरचना, तकनीकी सुधार, बाजारीकरण, निवेश के अवसर, आधारभुत कमियों और नयी चुनौतियों का आर्थिक रुप से ऐतिहासिक विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द : भूमंडलीकरण, भूमि सुधार अधिनियम (1950), हरित क्रांति, श्रम गतिशीलता, फसल विविधीकरण, कृषि रोडमैप

परिचय

1991 के पूर्व भारत की कृषि व्यवस्था काफी हद तक राज्य नियंत्रित नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था। लेकिन भारत में जब आर्थिक संकट के बाद 1991 में नयी आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई तब वित्तीय उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश और बाजार आधारित व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। भूमंडलीकरण के दौर में बिहार की कृषि परंपरागत खेती से बाजार केंद्रित व्यवस्था की ओर बढा, जिसमें बीज, खाद, सिंचाई, बाजार और तकनीक से जुड़े नए आयामों का प्रभाव दिखने लगा।[1] 1960–80 के दौरान हरित क्रांति का प्रभाव बिहार पर पंजाब और हरियाणा की तुलना में काफी कम रहा, जिससे यहां कृषि–वैज्ञानिक संरचना कमजोर बनी रही।[2] 1990 के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया ने कृषि संसाधन को बाजारोन्मुखी बनाया, जिससे बीज और उर्वरकों पर निजी नियंत्रण बढ़ गया। इस बदलाव ने किसानों के लिए एक तरफ अवसर को जन्म दिया वहीं दूसरी तरफ नयी आर्थिक निर्भरता को भी। आंकड़ों से पता चलता है कि 1990 से 2020 के बीच बिहार में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.6 फीसदी प्रति वर्ष रही, जबकि इस अवधि में इसी क्षेत्र पर रोजगार निर्भरता लगभग 60 फीसदी से ऊपर बनी रही।[3] इससे प्रतीत होता है कि कृषि उत्पादक्ता वृद्धि की तुलना में ग्रामीण आय में सुधार उतनी तेजी से नही हुआ।

बिहार की अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभाव

2000 में बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संसाधन (कोयला, लोहा आदि), भारी उद्योग (स्टील, माइनिंग) और राजस्व का बड़ा हिस्सा (लगभग 60 फीसदी) नए राज्य झारखंड में चला गया। बिहार में अब प्राकृतिक संसाधन के रुप में जल और मिट्टी रह गए। इस कारण बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि और सहायक गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण तथा उद्योग की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई। कृषि भले ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना लेकिन आंकड़ों

1. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर : इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2005
2. गुलाटी, अशोक : ग्रीन रिवोल्यूशन एंड रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया, नयी दिल्ली, 1998
3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया : स्टेट फाइनेंसेज एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स (1990–2020) हैंडबुक, 2021

के अनुसार देखा जाए तो 1990–91 से 2008–09 के बीच कृषि और सहायक गतिविधियों की हिस्सेदारी NSDP (Net State Domestic Product) में गिरकर 46.7 से 26.51 फीसदी हो गई।[4] यानी राज्य की आर्थिक संरचना धीरे–धीरे उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर झुकने लगा। यह परिवर्तन बिहार में समाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि व्यवस्था को नयी चुनौतियों भरे दौर में लाकर खड़ा कर दिया।

1991 के बाद भारत में कृषि परिवर्तन और बिहार का कृषिगत व्यवहार

भूमंडलीकरण के दौर में कृषि के क्षेत्र में कुछ विशेष बदलाव देखे गए–

– खेती की संरचना में बदलावः– पारंपरिक खाद्यान्न फसलों (जैसे– धान, गेंहू) के अतिरिक्त नकदी फसल, सब्जी, बागवानी, डेयरी और खेती विविधीकरण (एक ही खेत/फार्म पर अलग–अलग फसलों के साथ खेती से जुड़े अन्य कार्य) का चलन बढा।

– उत्पादन एवं उत्पादक्ता में सुधारः– आधुनिक कृषि तकनीक, उर्वरक, सिंचाई, उन्नत बीज आदि के उपयोग से उत्पादक्ता में आंशिक सुधार आया।

– बाजार और व्यापार उन्मुखी व्यवस्थाः– जो कृषि मुख्य रुप से जीविका के लिए खेती पर आधारित थी, वह अब व्यापार बाधाओं के कम होने के कारण वैश्विक बाजार तक पहुंच सकी। उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन से निर्यात को बढ़ावा मिला। e-NAM (e-National Agriculture Market) जैसे प्लेटफॉर्म ने बेहतर व्यापार सुविधा प्रदान किया। निजी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से सप्लाई चेन बेहतर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक मूल्य उतार–चढाव से किसानों की आय अस्थिर भी हुई।[5]

1991 के आर्थिक सुधारों के प्रभाव से बिहार में कृषि के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने आई–

– धान, गेहूं और मक्का की पैदावार में लगभग दोगुनी की वृद्धि हुई।

– सब्जियों का उत्पादन बढ़ा।

– लीची, मखाना, शहद और मशरुम की खेती में अग्रणी राज्य बना।

– खेती विविधीकरण के कारण खाद्यान्न फसलों के साथ–साथ फल, सब्जी, मत्स्यपालन और पशुपालन को बढावा मिला।

– आधुनिक खेती पद्धति, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, पूंजी निवेश और आधुनिक तकनीकों के अपनाने की दिशा में प्रयास हुए, जिससे उत्पादन और उत्पादक्ता में सुधार आया।[6]

– भूमि–स्वामित्व की असमानता, छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या तथा बड़े खेत/फार्म की कमी के कारण आधुनिक खेती या व्यापार उन्मुखी कृषि में सभी शामिल नहीं हो सके।[7]

– कृषि आधारभुत संरचना का अभाव रहा। पर्याप्त सिंचाई, भंडारण, परिवहन, मार्केट लिंकेज (किसानों का खरीदारों और बाजार से सीधा जुड़ना), सप्लाई चेन, मूल्य नियंत्रण आदि के अभाव के कारण किसान वैश्विक बाजार से जुड़कर व्यापार का पर्याप्त लाभ नहीं उठा सके।

– आम किसानों के जीवन–स्तर, आय स्थिरता और समाजिक सुरक्षा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

भुमि व्यवस्था, सिंचाई और श्रम गतिशीलता (Labour Mobility)

बिहार की भूमि व्यवस्था का इतिहास ब्रिटिश कालीन जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा है। स्वतंत्रता के बाद बिहार ने भूमि सुधार अधिनियम (1950) के तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर किसानों को सीधे भूमि का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन आज भी भूमि विखंडन, भूमि हीनता और भूमि का असमान वितरण की समस्या बनी हुई है। बिहार की कृषि संरचना पर भूमि का असमान वितरण गहरा प्रभाव डालता है। 2011 की कृषि जनगणा के अनुसार कुल किसानों में से लगभग 92 फीसदी लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जोत है।[8] इस प्रकार देखा जाए तो भूमंडलीकरण के दौर में बाजार आधारित कृषि मॉडल का लाभ सर्वाधिक बड़े किसान ही उठा सके जबकि छोटे किसानों की समस्या बनी रही।

बिहार की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। गंगा के मैदान में अवस्थित बिहार की कृषि, जहां नदियों की संख्या पर्याप्त हैं, वहां बाढ और सूखा की समस्या बनी रहती है। ऐसे में सिंचाई की आवश्यक्ता बनी रहती है। बिहार में सिंचाई की शुरुआत हजारों वर्ष पुरानी है। आहार–पाइन प्रणाली (आहार – तीन तरफ बांध वाली आयताकार जलाशय, जहां वर्षा जल और नदी जल का संग्रह होता है; पाइन – नदियों या जल श्रोतों से पानी मोड़ने वाली नहरें, जो आहारों तक पानी पहुंचाती हैं) सबसे प्रमुख पारंपरिक सिंचाई विधि है जो मगध साम्राज्य के समय से प्रचलित है। तालाब, कुआं, ट्यूबवेल और नहर सिंचाई के प्रमुख साधन रहे हैं। भूमंडलीकरण के बाद से बिहार में कुल सिंचाई क्षमता लगभग 100 लाख हेक्टेयर के आस–पास पहुंचा है। सोन, गंडक, कोसी, कमला आदि नहर परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। बाढ प्रभावित क्षेत्र का विस्तार, नहर सिंचाई प्रणाली का कमजोर

4. मो. अब्दुस्सलाम एवं अन्य : एग्रीकल्चर एंड दि इकोनॉमी ऑफ बिहार, ऐन एनालीसिस, IJSR vol3, 2013
5. पढी, एस. के. : इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड लिबरेलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया
6. गुलाटी, ए. एवं अन्य : ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, 2022
7. मो. अब्दुस्सलाम एवं अन्य : एग्रीकल्चर एंड दि इकोनॉमी ऑफ बिहार, ऐन एनालीसिस, IJSR vol3, 2013
8. एग्रीकल्चर सेन्सस ऑफ इंडिया : ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन नंबर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, भारत सरकार, 2011

होना और डीजल सिंचाई पर निर्भरता के कारण बाजार मूल्य के उतार–चढाव का असर किसानों के उपज मूल्य पर पड़ता है।[9]

बिहार में श्रम गतिशीलता का अर्थ मुख्यतः बाहरी पलायन से है। बिहार भारत के उन राज्यों में से है जहां रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में कृषि श्रमिकों का प्रवासन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की ओर होता है। इसके कारण फसल कटाई मौसम में श्रम की कमी हो जाती है और मजदूरी दर में वृद्धि देखने को मिलता है। हालांकि बिहार से पलायन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रेमिटेंस (बाहर से पैसा भेजना) का श्रोत है, लेकिन स्थानीय कृषि उत्पादन लागत पर वृद्धि का असर होता है।

कृषि आधुनिकीकरण

हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई और पहले चरण में पंजाब, हरियाणा और प0 उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में अभुतपूर्व वृद्धि देखी गई। दूसरे चरण (1970 का दशक) में बिहार एवं अन्य राज्यों में गेहूं के साथ–साथ धान के उपज पर जोर दिया गया। अच्छी उपज वाली किस्मों के बीज, रसायनिक खाद और कीटनाशक, ट्रैक्टर, पंप, कृषि शिक्षा कार्यक्रम, कृषि साख जैसी सुविधाओं को अपनाए जाने से बिहार के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी गई। भूमंडलीकरण के बाद बिहार की कृषि में आधुनिकीकरण धीमा लेकिन सकारात्मक रहा है। इसका प्रभाव निम्नलिखित रुप में स्पष्ठ रुप से देखने को मिलता है–

– उच्च उपज वाली बीज (HYV)
– उर्वरक एवं कीटनाशक
– ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर आदि कृषि यंत्र
– माइक्रो सिंचाई तकनीक (ड्रिप, स्प्रिंक्लर)
– क्लाइमेट–स्मार्ट फार्मिंग
– मोबाईल आधारित कृषि सूचना

परंतु यह तकनीकी लाभ असमान रुप से वितरित हुआ है। सीमांत किसानों द्वारा कृषि मशीनरी का किराए पर लेने की व्यवस्था ने कृषि कार्य सरल बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तकनीक की लागत छोटे किसानों की पहुंच में नहीं आ सकी है।[10] इनके अतिरिक्त पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक रसायनिक खाद और दवा के प्रयोग ने मिट्टी गुणवत्ता को प्रभावित किया है; पंप से अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आई है। देखा जाए तो इन सब कारणों ने वित्तीय एवं पर्यावरणीय दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर असर डाला है।

फसल विविधीकरण और बाजार संरचना

भूमंडलीकरण के दौर में बिहार की कृषि में फसल विविधीकरण की विशेषता आधुनिक रुप में उभर कर सामने आई है। परंपरागत खाद्यान्न फसलों (गेहूं, धान) पर निर्भरता के साथ–साथ बागवानी, दलहन, तिलहन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई। विशेष रुप से कटहल, लीची, केला, मखाना, मशरुम, शहद के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। उच्च मूल्य वाली फसलों (High-value crops) जैसे फल, सब्जी, मसाले की ओर क्षेत्रांतरण हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार 1995 से 2015 के बीच कृषि में बागवानी का हिस्सा 13.2 से बढकर 28.4 फीसदी हो गया।[11] झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से बिहार की निर्भरता कृषि पर बढी, जिससे फसल विविधीकरण की आवश्यक्ता महसूस की गई। यह नया बदलाव एक तरफ मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए साल भर की आय भी सुनिश्चित करता है। हालांकि बिहार में उत्पादन लागत के अधिक होने, उर्वरक पर निर्भर होने, सिंचाई सुविधाओं की कमी होने और बाजार मूल्य के अस्थिर होने के कारण सभी किसानों के लिए यह लाभकारी नहीं हो सका।

2006 में कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम के समाप्त होने से बिहार की बाजार संरचना नियंत्रित मंडियों से निकलकर निजी अनियंत्रित बाजार की ओर स्थानांतरित हुई। इससे किसानों को मंडियों से बाहर सीधे अपने उत्पाद को बेचने की आजादी मिली।[12] किसानों के लिए e-NAM जैसा पोर्टल भी है जिसके माध्यम से देश भर के खरीदारों से जुड़ने का अवसर मिलता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में आधारभुत संरचना का अभाव और जागरुक्ता की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और भंडारण की समस्या होने की वजह से कम दाम पर अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

बिहार में कृषि नीति और सरकारी पहल

भूमंडलीकरण ने भारत की कृषि व्यवस्था को वैश्विक बाजार और निजी निवेश के लिए खोल दिया। इस बदलाव का प्रभाव बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य पर भी पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन बिहार में सरकार की भूमिका समाप्त नहीं

9. मेहंती, पी. के. : इरीगेसन एंड कॉस्ट डायनेमिक्स इन ईस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2017
10. सिंह, आर. : टेक्नोलॉजिकल ट्रांस्फार्मेसन एंड इंडियन एग्रीकल्चर, हैदराबाद, 2020
11. NSSO : सिचुएसन असेसमेंट ऑफ फार्मर्स, भारत सरकार, 2016
12. दि बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट (रिपील) एक्ट, 2006

हुई बल्कि नयी रुपरेखा में परिवर्तित हो गई। बाजार प्रतिस्पर्द्धा और उत्पादक्ता को बढाने की जरुरत ने राज्य को कृषि रोडमैप (2008 से शुरु) के जरिए सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर दिया है।
– पहला कृषि रोडमैप (2008–2012) : सिंचाई, बीज, उर्वरक, सब्सिडी, एक्सटेंशन सर्विस (किसानों को नयी तकनीक, ज्ञान और जानकारी उनके खेतों तक पहुंचाना) पर जोर।
– दूसरा कृषि रोडमैप (2012–2017) : फसल विविधीकरण, मत्स्यपालन और डेयरी पर जोर।
– तीसरा कृषि रोडमैप (2017–2022 और आगे 2023 तक विस्तार) : जैविक खेती पर जोर।
– चौथा कृषि रोडमैप (2023–2028) : जलवायु अनुकूल कृषि, महिला–किसान सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजी (डिजिटल एडवायजरी) पर जोर।[13]
कृषि रोड मैप के जरिए बिहार की कृषि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव यह रहा कि खाद्यान्न उत्पादन, सब्जी–फल उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, जिससे किसानों का आय बढा। इनके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कृषि प्रगति को ध्यान में रखकर और भी प्रयास किए गए हैं।
– कृषि में निजी निवेश को आकर्षित करने और किसानों को अपनी उपज मंडियों से बाहर बेचने की आजादी देने के लिए APMC एक्ट को निरस्त किया गया।
– सिंचाई (डीजल सब्सिडी, सोलर पंप), बीज वितरण, क्रेडिट, मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए निवेश बढाया गया।
– लीची, मखाना, केला, अमरुद जैसे उत्पादों पर फोकस करने के लिए खाद्य–प्रसंस्करण पर जोर दिया गया। बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (2020) बनाई गई है जिससे कि निर्यात के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिले।
– डी.बी.टी. के माध्यम से कृषि इन्पुट सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजा जा रहा।
– PACS (प्राथमिक कृषि साख समिति) को मजबूत किया जा रहा है।
– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत भूमिधारक किसानों के खाते में सालाना 6000 का वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है।
इन योजनाओं के परिणामस्वरुप किसानों को लाभ तो प्राप्त हुआ लेकिन सभी किसानों तक यह लाभ समान रुप से नहीं पहुंच सका। छोटे और सीमांत किसान इस लाभ का पर्याप्त उपयोग नहीं कर सके।

बिहार में कृषि व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां

भूमंडलीकरण ने भारत में कृषि पर मिश्रित प्रभाव डाला, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में यह कृषि व्यवस्था के लिए अधिकतर संकट और चुनौतियां लेकर आया। राज्य की उपजाऊ गंगा मैदान की भूमि और पर्याप्त जलसंसाधन के बावजूद कम उत्पादक्ता की समस्या रही है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों, आयात प्रतिस्पर्द्धा, निजीकरण और सब्सिडी कटौती ने स्थानीय चुनौतियों को गहरा किया है।
– छोटे और सीमांत किसानों की आय में धीमी वृद्धि रही। भूमंडलीकरण ने कृषि वस्तुओं के व्यापार में अवसर तो प्रदान किए, लेकिन अधिकांश किसानों की जोत छोटी होने के कारण वे अपने उपज के लिए उत्पादन लागत को बाजार और भंडारण के रास्ते निर्यात श्रृख्ला का हिस्सा नहीं बना सके।[14]
– कृषि लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। उर्वरक, डीजल, बीज, मशीनरी, और श्रम लागत बढने से उपज लागत–लाभ अनुपात घटा। 2018–19 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) और वास्तविक बाजार–भाव के बीच 15 से 45 फीसदी तक का अंतर देखा गया, जिससे किसान की आय अस्थिर रही।[15]
– राज्य में APMC एक्ट निरस्त होने के कारण विनियमित मंडियां खत्म हुई, जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिला और मध्यस्थों का शोषण बढा। कोल्ड स्टोरेज और खाद्य–प्रसंस्करण इकाईयों की कमी के कारण उपज का सही उपयोग नहीं किया जा सका। किसानों की आय में वृद्धि तभी संभव है जब कृषि उत्पाद हेतु प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग की एकीकृत संरचना बने।
– बिहार में कृषि व्यवस्था बाढ़ एवं सूखा दोनों के प्रति संवेदनशील है। 2005 के बाद पांच प्रमुख बाढ़ और तीन बड़े सूखे ने कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर डाला है।[16]बिहार की कृषि अधिकतर बारिश पर निर्भर है। फसल नुकसान होने की स्थिति में कर्ज बढने से श्रम पलायन का दर बढ जाता है।

कोविड काल में बिहार की कृषि गतिविधि

कोविड के दौरान बिहार में रिवर्स प्रवासन के कारण बिहार की कृषि–अर्थव्यवस्था में तीन तरह की विशेषता उभर कर सामने आई–
– कृषि श्रमिक की उपलब्धता अस्थाई रुप से बढ़ी;
– घरेलू कृषि उत्पादन के साथ सब्जी–बागवानी का विस्तार हुआ;
– सामुदायिक खेती (Group Farming) का विस्तार हुआ।

13. कृषि विभाग, बिहार सरकार : एग्रीकल्चर रोडमैप (2008–12, 2012–17, 2017–22), पटना, 2022
14. भादुरी, अमित : दि ट्रांस्फॉर्मेसन ऑफ रुरल एग्रेरियन स्ट्रक्चर, नई दिल्ली, 2014
15. CACP : प्राइस पॉलिसी ऑफ खरीफ क्रॉप्स, भारत सरकार, 2019
16. डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट : फ्लड एंड ड्रॉट असेस्मेंट रिपोर्ट, बिहार सरकार, 2021

इससे कृषि गतिविधि तो बढ़ी, लेकिन कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और बाजार की कमी के कारण किसानों की आय स्थिर नहीं रही। फिर भी कोविड ने यह साबित कर दिया कि बिहार की कृषि में स्थानीय रोजगार–सृजन की उच्च क्षमता मौजूद है।[17]

निष्कर्ष

भूमंडलीकरण के बाद तीन दशकों में बिहार के ग्रामीण विकास ने काफी उतार–चढाव देखे हैं। नई आर्थिक नीति के बाद बिहार में एक ओर जहां आधारभुत संरचना, ऊर्जा, संचार, सड़क संपर्क, आदि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन देखा गया वहीं दूसरी तरफ सामाजिक–आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता और पलायन जैसी चुनौतियां भी सामने आई। भूमंडलीकरण के शुरुआती दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि–नियंत्रित रही जिसमें विविधीकरण, उत्पादन–उत्पादक्ता में वृद्धि, योजनाओं और तकनीकों का विस्तार हुआ, वहीं भूमि असमानता, लागत–वृद्धि, बाजार अवसर की अपर्याप्त उप्लब्धता और जलवायु–जोखिम जैसी समस्या भी बनी रही। कुल मिलाकर बिहार में कृषि का इतिहास समान लाभ के बजाए असमान विकास की ही कहानी रहा है। सिंचाई व्यवस्था, बाजार संरचना, खाद्य–प्रसंस्करण और तकनीक के संतुलित समायोजन द्वारा बिहार के कृषि में स्थाई और समावेशी विकास की संभावना पर्याप्त हैं।

17. आई.एल.ओ. : रुरल लेबर एंड कोविड19 माइग्रेसन इन ईस्टर्न इंडिया, जेनेवा, 2022